तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग
नई दिल्ली -110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, INSTITUTIONAL AREA, SHAHEED JEET SINGH MARG,
NEW DELHI-110016
दूरभाष /Tel-26858570, फैक्स/ FAX-26514179

फा.सं.11-आरपीएस019/1/2017-AC(RPS)/ 476-479 दिनांक: 21 /09/2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केविसं में उप-प्राचार्य पद के भर्ती नियमों का संशोधन।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिशासी मण्डल(BoG) द्वारा दिनांक 15.11.2016 को आयोजित अपनी 106वीं बैठक में केन्द्रीय विद्यालय संगठन में उप-प्राचार्य पद के संशोधित भर्ती नियमों को मंजूरी दी गई थी।

उप-प्राचार्य पद के ये संशोधित भर्ती नियम एतद्वारा अधिसूचित किए जाते हैं जो दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी हैं।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

विजय कुमार 21/09/17
(एस. विजयकुमार)
संयुक्त आयुक्त(प्रशासन)

संलग्न: यथोपरि।

वितरण:

1. उपायुक्त, केविसं, सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
2. निदेशक, केविसं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के सभी आंचलिक संस्थान।
3. केविसं मुख्यालय, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और अनुभाग।
4. व्यक्तिगत सचिव(आयुक्त), केविसं।
5. व्यक्तिगत सचिव(अपर आयुक्त(प्रशासन/शैक्षिक), केविसं।
6. सभी मान्यता प्राप्त एसोसिएसन।
7. उपायुक्त, ईडीपी को इस आशय से कि वे इसे वैबसाइट पर अपलोड करें।
8. गार्ड फ़ाइल।

उप-प्राचार्य/सहायक शिक्षा अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

क्रम सं.	विवरण	भर्ती नियम
1	पद का नाम	उप-प्राचार्य/सहायक शिक्षा अधिकारी
2	पद की संख्या	511 (संख्या घट-बढ़ सकती है।) (वर्ष- 2017)
3	वर्गीकरण	वर्ग 'क'
4	वेतनमान	(PB – 3) ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹ 5400 (पूर्व–परिशोधित) लेवल 10 ₹ 56100 से ₹ 177500 (7 वें वेतन आयोग के अनुसार)
5	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	चयन पद
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच (के.वि.सं. के कर्मचारियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं है।) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य श्रेणियों के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
7	सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक और अन्य अपेक्षित योग्यताएं	अनिवार्य योग्यताएं 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कुल अंकों के कम से कम 50 % प्रतिशत अंकों के साथ स्नात्कोत्तर डिग्री । 2. बीएड या समकक्ष शिक्षण डिग्री । 3. केंद्रीय / राज्य सरकार में केंद्र/राज्य सरकारों के स्वायत्त संगठनों में उप-प्राचार्य के पद पर दो वर्ष का अनुभव; अथवा केंद्रीय / राज्य सरकार में केंद्रीय/राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में स्नातकोत्तर शिक्षक या लेक्चरर के रूप में 6 वर्ष का अनुभव। अथवा केंद्रीय/राज्य सरकार में / केंद्रीय / राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में स्नातकोतर शिक्षक या लेक्चरर और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रूप में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से 3 वर्ष स्नातकोत्तर शिक्षक या लेक्चरर के रूप में कार्य अनुभव आवश्यक है। वांछनीय: कम्प्यूटर पर कार्य करने की बेसिक जानकारी।
8	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शिक्षा संबंधी योग्यताएं क्या पदोन्नति के मामलों पर भी लागू होती है।	नहीं
9	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	दो वर्ष
10	भर्ती पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	25% पदोन्नति द्वारा 25% सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा 50% सीधी भर्ती द्वारा

शेष अगले पृष्ठ पर है ।

बिजया गुप्ता

11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन / द्वारा भर्ती के मायने में कौन से ग्रेड से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	<u>पदोन्नति द्वारा:</u> केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सेवारत स्नातकोत्तर शिक्षक जिन्होनें इस ग्रेड पर 08 वर्षों की नियमित सेवा पूरी की हो। <u>सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा:</u> केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सेवारत स्नातकोत्तर शिक्षक जिन्होंने उस ग्रेड में शिक्षक पद पर 05 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।
12	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन	अपर आयुक्त (प्रशासन) केविसं – अध्यक्ष संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक) केविसं- सदस्य संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) केविसं - सदस्य
13	उन परिस्थितियों का उल्लेख करें जिसकें संबंध में भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

निजमा

सत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग
नई दिल्ली -110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, INSTITUTIONAL AREA, SHAHEED JEET SINGH MARG,
NEW DELHI-110016
दूरभाष /Tel-26858570, फैक्स/ FAX-26514179

F. No. 11-RPS019/1/2017-AC(RPS) | 476-479 Dated: 21/09/2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of Recruitment Rules for Vice-Principal post in KVS.

The Board of Governors of Kendriya Vidyalaya Sangathan in its 106th meeting held on 15.11.2016 has approved the revised Recruitment Rules for the post of Vice-Principal in Kendriya Vidyalaya Sangathan.

The revised Recruitment Rules for the post of Vice-Principal effective from 01.04.2017 are circulated herewith for general information.

This issues with the approval of the competent authority.

Hindi version is attached.

(S.Vijaya Kumar)
Joint Commissioner(Admn.)

Encls: As above.

Distribution: -

1. The Deputy Commissioners, KVS, All Regional Offices.
2. The Director, KVS, All ZIET's.
3. All Officers and sections in KVS(HQ)
4. PS to Commissioner, KVS
5. PS to Addl. Commissioner(Admn.)/(Acad.), KVS.
6. All recognized Associations.
7. The Deputy Commissioner(EDP) to upload on the website.
8. Guard File

Recruitment Rules for the post of Vice-Principal/Asstt. Education Officer

Sl. No	Details	Recruitment Rule
1.	Name of the Post	Vice-Principal/ Asstt. Education Officer.
2.	Number of post(s)	511 (Subject to variation.) (Year-2017)
3.	Classification	Group 'A'.
4.	Pay Scale	(PB-3) ₹ 15600-39100+Grade Pay ₹ 5400(Pre-revised) Level 10 ₹ 56100 to 177500 (As per 7th cpc).
5.	Whether selection post or non-selectian post.	Selection.
6.	Age limit for direct recruits.	Between 35 and 45 years. There shall be no age bar in case of employees of KVS. Age relaxation shall be given to SC/ST candidates and other categories of candidates as per instructions issued by the Govt. of India from time to time.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	<u>**Essential Qualification:**</u> i) Masters Degree from a recognized university with atleast 50% marks in aggregate. ii) B.Ed or equivalent teaching degree. (iii)2 years experience of working on the post of Vice-Principal in Central/State Govt./Autonomous organizations of Central/State Govt. ; OR 6 Years experience of working on the post of PGT or Lecturer in Central/State Govt./Autonomous organizations of Central/State Govt.; OR 10 years combined experience of working as PGT or Lecturer and TGT in Central/State Govt./Autonomous organizations of Central/State Govt. of which atleast 3 years should be of working on the post of PGT or Lecturer. <u>**Desirable**</u> Basic knowledge of working on Computer.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	No.
9.	Period of probation, if any	2 years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies ta be filled by various methods.	25% by Promotion 25% by Limited Departmental Competitive Examination 50% by Direct Recruitment

11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	By Promotion From amongst PGTs serving in Kendriya Vidyalaya Sangathan with 08 years regular service in the grade. By Limited Departmental Competitive Examination From amongst PGTs serving in Kendriya Vidyalaya Sangathan with 05 years regular service in the grade.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Addl. Commissioner(Admn.) , KVS- Chairman Joint Commissioner(Acad) , KVS, - Member Joint Commissioner (Admn.) , KVS - Member
13	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.